

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर


नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांजटा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जीनी पत्नी पप्पुखां कौम सिन्धी (मुसलमान) निवासी सिन्धिओं की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर		1. मुसाखां पुत्र मोबताखां सिन्धी मुसलमान 2 हनिफखां पुत्र सदीकखा 3 निमों पत्नी अकबरखां सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धिओं की ढाणी (सांजटा) तहसील एवं जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-72/2021 दिनांक-09.11.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सिन्धिओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं  
जिला बाड़मेर के खसारा नम्बर 1141/777 रकबा 4.10 बीघा के वारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को  
जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में  
खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी  
निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की  
जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित  
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक/रीडर/2021/ 6242-6245

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जीनी पत्नी पप्पुखां कौम सिन्धी (मुसलमान) निवासी सिन्धिओं की ढाणी (सांजटा)  
तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण मुसाखा पुत्र मोबताखा वगैरह जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धिओं की  
ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 09/11/2021

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर